



लोकसेवा गारंटी योजना: समाधान एक दिन योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

गब्बर अहिरवार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग,

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, मध्यप्रदेश

Email ID- gabbarahirwar.ga@gmail.com

सारांश— भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता के कल्याण के लिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार का कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों के लिए उत्कृष्ट शासन व्यवस्था उपलब्ध करायें। जन हित के लिए संचालित लोक नीतियों का सफल क्रियान्वयन कर नागरिकों की मौलिक आवशकताओं की पूर्ति करना प्रशासन का दायित्व होता है। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य के लोगों को प्रशासन द्वारा उपलब्ध होने वाली दैनिक नागरिक सेवाएं समय—सीमा में प्रदान करने के लिए 'लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010' पारित किया एवं नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया जिसके तहत प्रशासकों की जवाबदेही सुनिश्चित की गई और निर्धारित समय—सीमा में लोगों को सेवाओं के प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान किया गया। लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना के तहत ही 'समाधान एक दिन योजना' लाई गई जिसके तहत लोगों को नागरिक सेवा का लाभ तत्काल उसी दिन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया ताकि आमजन का समय व पैसे की बचत हो सके और उन्हे किसी भी प्रकार की प्रशानिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इन्ही सब नवीन प्रयासों से स्पष्ट होता की मध्यप्रदेश सुशासन की दिशा में निरन्तर प्रगति कर राज्य में सम्पूर्ण सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति की और अग्रसर है।

कुंजी शब्द— सुशासन, लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना, समाधान एक दिन योजना, ऑनलाइन नागरिक सेवाएं।

प्रस्तावना— लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 देश ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा कानून है, जो आम आदमी को निर्धारित समय—सीमा में लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है और समय—सीमा में पर सेवाए उपलब्ध ना होने की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय अधिकारी के पास अपील करने का अधिकार देता है, समयावधि में सेवाओं का लाभ उपलब्ध

नहीं करा पाने की अवस्था में अधिकारियों पर जुर्माना कर राशि पीड़ित व्यक्ति को राहत राशि के रूप में दी जाएगी सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकसेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम विधिवत रूप से लाया गया ताकि वर्तमान समय में समाज में आम जन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं प्रशासन में दिनो—दिन बढ़ती हुई लालफीताशाही में कमी

लाना एवं भ्रष्टाचार मुक्त लोकसेवाए लोंगो के लिए समय पर उपलब्ध कराना एवं नौकरशाही द्वारा कार्य में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए लोकसेवाओं का डिजीटाइलेसन(सेवाए आनलाइन) करना अनिवार्य हुआ ताकि आम जन को समय पर सेवाए उपलब्ध हो सके।¹

मध्यप्रदेश सरकार ने आम नागरिकों के लिए बेहतर प्रशासनिक सेवायें उपलब्ध कराने के लिए 'समाधान एक दिन योजना' का शुभारंग किया है ताकि आम जनता को तहसीली कार्यालय के चक्कर बार-बार ना लगाना पड़े उन्हे सेवा का लाभ उसी दिन मिल जाये जिस दिन आवेदक आवेदन करता है। मध्यप्रदेश सरकार की 'समाधान एक दिन योजना' सम्पूर्ण राज्य में 7 मार्च 2018 से लागू है जिसके तहत सेवाओं का लाभ एक दिन में उपलब्ध कराया जा रहा है। सागर जिले में इस योजना का द्रायल 1 से 10 जनवरी तक होगा और 11 जनवरी से पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगी और रनर के माध्यम से सेवा का लाभ आवेदक को उसी दिन प्रदान कर दिया जायेगा।² इस योजना की शुरुवात पायलेट प्रोजेक्ट के तहत खंडवा के 07 लोक सेवा केन्द्रो में 05 फरवरी 2018 से की गई थी जिसमें 14 विभागों की 45 सेवाओं को उसी दिन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था इस योजना के तहत आवेदकों को सेवा का उसी दिन लाभ लेने के लिए लोक सेवा केन्द्र में आवेदन सुबह 9:30 से दोपहर के 1:30 बजे के बीच करना होता है और आवेदक को सम्बंधित सेवा का लाभ उसी दिन शाम तक प्रदान किया जाता है और जो आवेदक दोपहर 1:30 के बाद आवेदन करता है उनको सेवा का लाभ अगले मिल जाता है। इस योजना के

तहत समस्याओं का निराकरण करने के लिए सप्ताह के 6 दिनों अलग-अलग नोडल अधिकारी सरकार ने नियुक्त किये हैं जो लोक सेवा केन्द्र में बैठकर योजना की मॉनीटरिंग कर नागरिकों को सेवाये उपलब्ध करायेगे।³

वर्तमान समय में समाधान एक दिन योजना के तहत तत्काल सेवाएं प्रदान के अंतर्गत 8 विभागों की 38 सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन राज्य के सभी लोकसेवा केन्द्रों पर लिए जा रहे हैं और उसी दिन आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है जिससे की आम लोगों का समय व पैसा दोनों की बचत हो रही है और सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में समाधान एक दिन योजना के तहत आने वाले आवेदनों एवं उनके निराकरण संबंधी डाटा 31 अगस्त 2018 से 02 नवंबर 2019 लगभग एक साल 2 माह के डाटा को शामिल किया गया है मध्यप्रदेश शासन की बेवसाइट एमपी ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से लिया गया है और यह डाटा सार्वजनिक रूप से बेवसाइट पर उपलब्ध है जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि अब तक इस योजना के तहत आने वाले विभागों की सेवाओं में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है। शोधकर्ता द्वारा द्वितीयक तथ्यों के आधार पर एमपी ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से प्राप्त डाटा के आधार पर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों को शामिल कर डाटा जिलेवार एवं विभागवार दिया गया है जिसमें 20 जिलों को लिया गया है 10 जिले वह है जहां पर अधिक आवेदन प्राप्त और निराकृत हुए हैं

और 10 जिले वह है जहां पर कम आवेदन प्राप्त और निराकृत हुए हैं।

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य—

1. समाधान एक दिन योजना के तहत 8 विभागों की ऑनलाइन संचालित होने वाली 38 सेवाओं में आने वाले आवेदनों और निराकृत होने वाने आवेदनों पर प्रकाश डालना साथ ही उसी दिन नागरिकों को सेवा का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लायी गई योजना का क्रियान्वयन देखना।
2. यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है अतः यह देखना कि सभी जिलों में इसका सफल क्रियान्वयन हो पा रहा है या नहीं एवं वह कौन से जिले हैं जो नागरिकों को सेवाओं का लाभ तीव्रता से उपलब्ध करा पा रहे हैं।
3. सुशासन की दिशा में यह योजना कितनी सफल है इस बात का अध्ययन करना एवं आम नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करना।
4. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को जानना और उनके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है।

समाधान एक दिन योजना में 8 विभागों की निम्न सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जिनके आवेदन ऑनलाइन लिये जा रहे हैं—

1. सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं—स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नगरीय व ग्रामीण निकाय की

मतदाता सूची की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना।

2. गृह विभाग की सेवाएं— पुलिस स्टेशन से फरियादी को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध न कराने पर उच्च स्तर से एफ.आई.आर. की प्रति प्रदाय कराना, मर्ग इंटिमेशन की कॉपी प्रदान करना, अजाक्स थाने से मर्ग इंटिमेशन की कॉपी प्रदान करना।
3. राजस्व विभाग—
 1. तहसील स्तरीय रिकार्ड रुम से राजस्व न्यायालयों में पारित आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्रदान करना।
 2. जिला स्तरीय रिकार्ड रुम से राजस्व न्यायालयों में पारित आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्रदान करना।
 3. चालू खसरा की नवीन प्रतिलिपि आवेदक को प्रदान करना।
 4. बी. 1 खतौनी की नवीन प्रतिलिपि आवेदक को प्रदान करना।
 5. चालू नक्शा की नवीन प्रतिलिपि आवेदक को प्रदान करना।
 6. चालू खसरा की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदान करना WEBIGIS।
 7. बी. 1 खतौनी की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदान करना WEBIGIS।
 8. चालू नक्शा की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदान करना WEBIGIS।
 9. खसरा की प्रतिलिपि (सम्पूर्ण खाते की) प्रदान करना।

4. परिवहन विभाग—
1. आवेदक का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रशीद की प्रति प्रदान करना।
 2. वाहन फिटनेस के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रदान करना।
 3. डुपलीकेट वाहन पंजीयन कार्ड प्रदान करना।
 4. वाहन के स्वामित्य का हस्तानतरण करने पर आवेदक को अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
5. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग—
1. जननी सुरक्षा योजना की स्वीकृति प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
 2. प्रसूति सहायता योजना की स्वीकृति प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
6. नगरीय प्रशासन एवं विकास—
1. ट्रेड लाइसेंस प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
7. सामाजिक न्याय विभाग—
1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन पहली बार स्वीकृत करना एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
 2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन पहली बार स्वीकृत करना एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
 3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन पहली बार स्वीकृत करना
- एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
4. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की स्वीकृति करना एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
5. मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति करना एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
6. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना की स्वीकृत करना एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
7. निःशक्त व्यक्तियों के लिये लोकसेवा प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति करना एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
8. निःशक्त छात्र—छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, परिवहन के खर्च का भत्ता प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति करना।
9. निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना की स्वीकृति प्रदान करना।
10. छ: साल से अधिक आयु के बच्चे जो बहुविकलांग एवं जिनका मानसिक रूप से सम्पूर्ण विकास नहीं हुआ है ऐसे बच्चों को सहायता अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान करना।

11. मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की पहली बार स्वीकृति करना।
12. सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन पहली बार स्वीकृत करना एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
13. सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन पहली बार स्वीकृत करना एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
14. सामाजिक सुरक्षा परिस्थिक्ता पेंशन पहली बार स्वीकृत करना
- एवं उसका प्रमाण—पत्र प्रदान करना।
8. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग—
1. रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवाना।
 2. रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण करवाना।⁴ 'समाधान एक दिन योजना' के तहत 10 जिले जहां पर सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए और उनका निराकरण किया गया—⁵

क्रमांक	जिला	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत हुए आवेदनों की संख्या
1	सतना	234682	234429
2	टीकमगढ़	207419	206704
3	छिन्दवाड़ा	203690	201074
4	देवास	200717	200197
5	सिवनी	182732	182133
6	धार	174343	174289
7	जबलपुर	159465	159118
8	भोपाल	155090	154884
9	रतलाम	151680	151643
10	पन्ना	147626	146519

स्रोत: [mpedistrict.gov.in \(samadhan dashboard\)](http://mpedistrict.gov.in (samadhan dashboard))

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सतना जिले में सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, दूसरे स्थान पर टीकमगढ़, तीसरे स्थान पर छिन्दवाड़ा, चौथे स्थान पर देवास और पांचवें स्थान पर सिवनी जिला है जहां पर अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

'समाधान एक दिन योजना' के तहत निचले स्तर से 10 जिले जहा पर आवेदन प्राप्त हुए और उनका निराकरण किया गया—

क्रमांक	जिला	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत हुए आवेदनों की संख्या
1	खण्डवा	44975	44850
2	उमरिया	43475	43074
3	मण्डला	40751	40745
4	अशोकनगर	39365	39348
5	श्योपुर	35725	35611
6	दतिया	33654	33642
7	डिण्डोरी	29982	29866
8	बुरहानपुर	28819	28818
9	अलीराजपुर	27678	27675
10	हरदा	22164	21776

स्रोत: mpedistrict.gov.in (samadhan dashboard)

विभागानुसार सेवाओं में आने वाले आवेदनों में राज्य के समस्त जिलों को शामिल किया गया है साथ ही 8 विभागों की किन–किन सेवाओं में

कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदन लंबित पड़े हैं वह निम्नानुसार है—

विभागवार आवेदन प्राप्ति की स्थिति—

राजस्व विभाग				
क्रमांक	जिला	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन	कुल लंबित आवेदन
1	पन्ना	153158	152920	238
2	टीकमगढ़	146608	145916	692
3	देवास	136140	135640	500
4	रतलाम	112447	112429	18
5	सिवनी	102412	101839	884

स्रोत: mpedistrict.gov.in (samadhan dashboard)

सामाजिक न्याय विभाग				
क्रमांक	जिला	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन	कुल लंबित आवेदन
1	सागर	8720	8720	00
2	शिवनी	6375	6372	03
3	शहडोल	4875	4874	01
4	जबलपुर	3787	3787	00
5	रीवा	3671	3657	14

स्रोत: mpedistrict.gov.in (samadhan dashboard)

सामान्य प्रशासन विभाग				
क्रमांक	जिला	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन	कुल लंबित आवेदन
1	खरगोन	135483	135445	38
2	जबलपुर	133839	133818	21
3	भोपाल	124950	124757	193
4	सागर	115962	115947	15
5	छिंदवाड़ा	113340	113320	20

स्रोत: [mpedistrict.gov.in \(samadhan dashboard\)](http://mpedistrict.gov.in (samadhan dashboard))

ग्रह विभाग				
क्रमांक	जिला	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन	कुल लंबित आवेदन
1	पन्ना	13	13	00
2	अनुपपुर	09	09	00
3	टीकमगढ़	09	09	00
4	विदिशा	06	06	00
5	नीमच	04	04	00

स्रोत: [mpedistrict.gov.in \(samadhan dashboard\)](http://mpedistrict.gov.in (samadhan dashboard))

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग				
क्रमांक	जिला	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन	कुल लंबित आवेदन
1	छिंदवाड़ा	425	425	00
2	अशोकनगर	01	01	00
3	जबलपुर	01	01	00

स्रोत: [mpedistrict.gov.in \(samadhan dashboard\)](http://mpedistrict.gov.in (samadhan dashboard))

नगरीय प्रशासन विभाग				
क्रमांक	जिला	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन	कुल लंबित आवेदन
1	जबलपुर	01	00	00

स्रोत: [mpedistrict.gov.in \(samadhan dashboard\)](http://mpedistrict.gov.in (samadhan dashboard))

समस्याएं—

- सरकार द्वारा समय—समय पर इस योजना के तहत नई सेवा को शामिल कर लिया जाता है लेकिन उसकी जानकारी आम जन तक नहीं पहुंच पाती है।

- सरकार द्वारा अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है जिससे कि लोग ऑनलाइन संचालित होने वाली सेवाओं के बारे में जानकार हो और उसका लाभ ले सके यह प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या है।

3. सामान्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन को छोड़कर बाकि विभागों की सेवाओं का लाभ आम नागरिकों को न के बराबर मिल पा रहा है इसकी प्रमुख समस्या इन विभागों की सेवाओं के बारे अधिक प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है, जानकारी न होने के कारण सरकार की अन्य योजनाओं की तरह यह भी केवल सरकार की खानापूर्ति तक ही सीमित रह गई है।
4. योजना के तहत अधिसूचित 38 सेवाओं में से अभी तक 33 सेवाओं में ही आवेदन आये हैं जिससे स्पष्ट दिखाई देता है कि आम जन को इन सेवाओं के ऑनलाइन होने की जानकारी नहीं है यह इस योजना की इसबसे बड़ी समस्या है।
5. गृह विभाग की 4 सेवाओं को शामिल किया गया है जिसमें से केवल 11 जिलों में ही इस विभाग की सेवा के लिए आवेदन आये हैं बाकि 40 जिलों में अब तक एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिससे समझ आता है कि लोगों को इन सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं है।
6. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की सेवाओं में केवल 03 जिलों में ही आवेदन प्राप्त हुए हैं और नगरीय प्रशासन विभाग में केवल जबलपुर जिले में ही अब तक 01 ही आवेदन प्राप्त हुआ है।
7. समय पर सेवा उपलब्ध ना होने का सबसे बड़ा कारण सर्वर की समस्या है

जिसकी वजह से आम जन को सेवा का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है।

सुझाव—

1. स्थानीय स्तर पर सरकारी-गैरसरकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना के तहत आने वाली सेवाओं के बारे में जनता को अवगत कराया जाना चाहिए।
2. ऐसे ही योजना के दायरे में नई सेवा को शामिल किया जाता है तो उसकी जानकारी टी. बी. रेडियो के माध्यम से सूचना प्रसारित की जानी चाहिए।
3. ग्राम पंचायत के माध्यम से सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए।
4. जिस प्रकार चुनाव के समय में राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए गांव-गांव में जाकर लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है ठीक उसी प्रकार इन प्रशासनिक सेवाओं की जानकारी लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रत्येक माह में एक बार इनका प्रचार-प्रसार किया जाये।
5. समाधान एक दिन के तहत आने वाली समस्त सेवाओं के पंम्पलेट व बैनर प्रत्येक गांव के सामुदायिक भवनों पर लगाये जाये।
6. जिन लोक सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं वह केवल कियोस्क आई.डी. धारक ही आवेदन कर सकते हैं इसकी जगह यह सेवाएं जनसामान्य के लिए ओपन कर देना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति स्वयं

कम्प्यूटर के माध्यम से इन सेवाओं में आवेदन कर सके।

5. mpedistrict.gov.in/Public/samadhandashboard.aspx Acsses on Date 02.11.2019

निष्कर्ष— समाधान एक दिन योजना सुशासन की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है जिसमें आम नागरिकों को एक ही दिन में सेवाओं के प्रमाण पत्र प्रदान कराने की सुविधा की गई है जिससे शहर से बाहर गांव से आने वाले आम नागरिकों के अमूल्यवान समय व धन की बचत हो रही है और नागरिकों को कही भटकना नहीं पड़ रहा है लेकिन इस योजना के तहत अधिसूचित सेवाओं में समान रूप से आवेदन न आना इसकी सबसे बड़ी बाधा है यदि राज्य में सुशासन को एकदम जमीनी स्तर तक ले जाना है तो सरकार एवं प्रशासन के द्वारा इसके तहत आने वाली सभी सेवाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचानी होगी ताकि आम नागरिक राज्य के पूर्ण सुशासन के प्रयासों का सम्पूर्ण लाभ ले सके और मध्यप्रदेश राज्य आने वाले समय में विश्व में सुशासन की मिसाल पेश कर सके।

संदर्भ—

1. जनसमर्पक विभाग, **सुशासन की नई पहल**(2011), जनसमर्पक विभाग, भोपाल
2. <http://wwwpatrika.com/sagar-news/mp-goverment-ek-din-samadhan-2164819/> Acsses on Date 14.09.2019
3. <http://www.bhaskar.com/amp/news/MP-KHAN-MAT-latest-khandwa-news-062503-1046245-NOR.html> Acsses on Date 14.09.2019
4. <http://mpedistrict.gov.in> Tuesday, November 05, 2019 2:17 pm